रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-19062025-263974
CG-UP-E-19062025-263974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352] नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2025/ज्येष्ठ 28, 1947
No. 352] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2025/JYAISTHA 28, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2025

सा.का.नि. 395(अ).—समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण) नियम, 2025 का प्रारूप जिसे समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 46 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सा. का. नि. 884(अ), तारीख 24 दिसम्बर 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (i), तारीख 27 दिसम्बर 2021 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी; उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलबध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव अमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 27 दिसंबर, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा 46 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ . – (1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "अधिनियम" से समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) अभिप्रेत है;

(ख) "नौचालन सहायता कर्मी" से वे व्यक्ति अभिप्रेत है जो नौचालन सहायता में प्रशिक्षित हैं तथा इन नियमों के अंतर्गत प्रमाणपत्र धारक हैं;

(ग) "समुद्री नौचालन सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से एक ऐसा अंतर-सरकारी संगठन अभिप्रेत है जो नौचालन सहायता के विनियमन, उपबंध, अनुरक्षण अथवा संचालन से सम्बंधित सरकारों एवं संगठनों को एकत्र करता है, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और जिसका भारत एक सदस्य देश है;

(घ) "समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थान" से नियम 4 में उल्लिखित संस्थान अभिप्रेत है;

(ङ) "व्यक्ति" में कोई भी व्यष्टि, कंपनी या संगम अथवा व्यक्तियों का निकाय सम्मिलित है, चाहे वह किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है या निर्दिष्ट किया गया है, रजिस्ट्रीकृत हो अथवा नहीं;

(च) "पोत यातायात सेवा कर्मी" उन व्यक्तियों से अभिप्रेत है जो इस सेवा में प्रशिक्षित हैं तथा जिनके पास इन नियमों के अंतर्गत प्रमाणपत्र है;

(छ) "पोत यातायात सेवा प्रदाता" से अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति से अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. समुद्री नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवा प्रशिक्षण .– (1) एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन द्वारा ऐसे व्यक्ति को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा जिसने संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, बशर्ते वह व्यक्ति महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम अहर्ता मानदंडों को पूरा करता हो तथा वह पाठ्यक्रम समुद्री नौचालन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विकसित मानकों, अनुशंसाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया हो।

(2) केवल उसी व्यक्ति को नौचालन सहायता केंद्र अथवा पोत यातायात सेवा केंद्र में संचालन एवं रखरखाव के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसने इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन प्रशिक्षित होकर प्रमाण पत्र (जैसा लागू हो) प्राप्त किया हो।

(3) नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवा के प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण से संबंधित सभी मामलों में महानिदेशक प्राधिकारी होंगे।

(4) महानिदेशक, उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर प्रचलित वैश्विक तकनीकी मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम अहर्ता मानदंड निर्दिष्ट करेगा।

4. समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थान .– (1) समुद्री नौवहन प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता, महानिदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन है, जो अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन पर लागू सभी नियमों के अनुपालन के अधीन, संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सफल समापन पर किसी व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(2) समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थान भविष्य की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से अन्य स्थानों पर भी प्रशिक्षण आयोजित कर सकता है।

5. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की स्वीकृति .– (1) कोई भी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन किसी भी ऐसे पाठ्यक्रम के लिए प्रमाणपत्र जारी नही करेगा जिसे इस नियम के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो।

(2) समुद्री नौचालन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मॉडल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अपनाने के इच्छुक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन को समय-समय पर महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में महानिदेशक को आवेदन करना होगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन लागू प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए महानिदेशक निरीक्षण करेंगे। (4) महानिदेशक, उप-नियम (3) के अधीन किए गए अंतिम निरीक्षण की तारीख से तीस दिनों के भीतर, पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध

मॉडल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन के लिए अनुमोदन प्रदान करेंगे और ऐसे प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

(5) उप-नियम (4) के अधीन प्रदत्त अनुमोदन के प्रमाण पत्र की एक प्रति उनके रिकॉर्ड और प्रसार के लिए समुद्री नौचालन सहायता सचिवालय के अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी भेजी जाएगी।

(6) महानिदेशक ऐसे अंतरालों पर आडिट कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन में ऐसी प्रणालियाँ विद्यमान हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली (प्रशिक्षकों, अनुरूपक और पोत यातायात सेवा या नेविगेशन प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए सहायता सहित);,

(ख) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अभिलेख;,

(ग) रिकॉर्ड रख रखाव;,

(घ) पाठ्यक्रम प्रस्तुति मूल्यांकन, और

(ङ) अनुरूपक प्रशिक्षण।

परंतु यदि आडिट के दौरान किसी गैर-अनुरूपता की पहचान की जाती है और महानिदेशक द्वारा सूचित किए जाने पर, और मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन सूचना की तारीख से तीस दिनों के भीतर इसे सुधारने में विफल रहता है, तो पाठ्यक्रम अनुमोदन को तब तक निलंबित माना जाएगा जब तक कि मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन अनुपालन की पुष्टि नहीं कर देता।

6. प्रमाणीकरण .– (1) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन किसी व्यक्ति को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर, मूल्यांकन पूरा होने की तारीख से सात दिनों की अवधि के अंदर महानिदेशक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रपत्र में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(2) महानिदेशक नौचालन के लिए समुद्री नौचालन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के किसी भी सदस्य राज्य द्वारा दिए गए नौचालन और पोत यातायात सेवा प्रमाणपत्र को मान्यता दे सकते हैं जहां उपयुक्त पारस्परिक व्यवस्थाएं लागू होती हैं तथा ऐसा प्रमाणपत्र समुद्री नौचालन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया हो।

7. पोत यातायात सेवा लॉग बुक .– (1) महानिदेशक प्रशिक्षण और कार्य अनुभव का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन के माध्यम से प्रत्येक पोत यातायात सेवा कर्मियों को एक लॉग बुक जारी करेंगे।

(2) लॉग बुक जारी करने की प्रक्रिया महानिदेशक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) पोत यातायात सेवा कर्मियों के कार्य अनुभव से संबंधित लॉग बुक में प्रविष्टियां पोत यातायात सेवा प्रदाता द्वारा की जाएंगी और ऐसी प्रविष्टि महानिदेशक को समय-समय पर महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट प्रारुप और रीति से उपलब्ध कराई जाएंगी।

8. नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवा कार्मिकों का डेटाबेस .– (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और पोत यातायात सेवा प्रदाता अपने द्वारा तैनात कर्मिकों का विवरण और उनके प्रशिक्षण की स्थिति महानिदेशक को उपलब्ध कराएंगे।

(2) प्रत्येक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन अपने संस्थान में प्रदान किए गए प्रशिक्षण का विवरण महानिदेशक को समय-समय पर महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और रीति के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।

(3) महानिदेशक उप-नियम (1) और (2) के अधीन प्राप्त इनपुट के आधार पर नौचालन सहायता कार्मिकों और पोत यातायात सेवा कर्मिको और उनके प्रशिक्षण की स्थिति का एक डेटाबेस बनाए रखेंगे।]

[फा. सं. एलएच-11012/5/2021-एसएल]

मुकेश मंगल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2025

G.S.R. 395(E).—Whereas the draft of the Marine Aids to Navigation (Training and Certification) Rules, 2025 were published, as required by sub-section (1) of section 46 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021) (hereinafter referred to as the said Act), vide notification number G.S.R. 884 (E), dated the 24th December, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27th December, 2021, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 27th December, 2021;

And whereas no objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) of sub-section (2) of section 46 read with section 19 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021, the Central Government, hereby makes the following rules, namely: –

1.Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Marine Aids to Navigation (Training and Certification) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2.Definitions. –(1) In these rules, unless the context otherwise requires, **–**

(a) "Act" means the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021);

(b) "aids to navigation personnel" means persons trained in aids to navigation and holding the certificate issued under these rules;

(c) "International Organisation for Marine Aids to Navigation" means an intergovernmental organization that brings together governments and organizations concerned with the regulation, provision, maintenance, or operation of marine aids to navigation, with its headquarters in Paris, France, and of which India is a member state;

(d) "Marine Navigation Training Institute" means the institute referred to in rule 4;

(e) "person" shall include an individual, any company or association or body of individuals, whether incorporated or not by whatsoever name called or referred to;

(f) "vessel traffic service personnel" means persons trained in vessel traffic service and holding the certificate issued under these rules;

(g) "vessel traffic service provider" means any person authorised under sub-section (2) of section 10 of the Act.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Training in marine aids to navigation and vessel traffic services.–(1) An accredited training organization shall issue a certificate to a person upon successful completion of the respective training course, provided that the person meets the minimum qualification criteria specified by the Director General for the respective course and the course is designed in accordance with the standards, recommendations, guidelines, and model courses developed by the International Organisation for Marine Aids to Navigation.

(2) Only such person who is trained and has been granted a certificate under sub-rule (1) shall be deployed for the operation and maintenance of aids to navigation station or vessel traffic service centre, as applicable.

(3) The Director General shall be the authority for all matters pertaining to training and certification on marine aids to navigation and vessel traffic services.

(4) For the purposes of sub-rule (1), the Director General shall, from time to time, specify the minimum qualification criteria for a person to receive training in aids to navigation and vessel traffic services, in accordance with the prevailing global technical standards and best practices.

4. Marine Navigation Training Institute. – (1) The Marine Navigation Training Institute, Kolkata, an accredited training organisation under the administrative control of the Director General, shall issue a certificate to a person upon successful completion of the respective training course, subject to compliance with all rules applicable to an accredited training organisation under the Act.

(2) The Marine Navigation Training Institute may also conduct its training at other geographical locations depending on the future training needs with the prior approval of the Central Government.

5. Approval of training courses. – (1) No accredited training organisation shall issue certificates for any training course which is not approved under this rule.

(2) The accredited training organisation seeking to adopt the model training course of the International Organisation for Marine Aids to Navigation, shall apply to the Director General in the form specified by the Director General from time to time.

(3) The Director General shall conduct inspection(s) for the grant of approval of the training course so applied under sub-rule (2).

(4) The Director General shall, within thirty days from the date of the final inspection conducted under sub-rule (3), grant approval for the conduct of the model training course, valid for a period of five years, and issue a certificate of approval for each such course.

(5) A copy of the certificate of approval granted under sub-rule (4) shall also be dispatched to the International Organisation for Marine Aids to Navigation Secretariat for their record and dissemination.

(6) The Director General may carry out an audit at such intervals as he may deem fit, for ensuring that the accredited training organisation have in place such systems which shall include–

(a) training management system (including instructors, simulators and vessel traffic service or aids to navigation training facilities);
(b) training course documentation;
(c) maintenance of records;
(d) course presentation assessment; and
(e) simulator training.

Provided that if any non-conformity is identified during the audit and intimated by the Director General, and the accredited training organization fails to rectify it within thirty days from the date of intimation, the course approval shall be deemed suspended until the accredited training organization confirms compliance.

6. Certification. – (1) The accredited training organization shall issue a certificate of training, in the form specified by the Director General from time to time, to a person who has successfully completed the training, within seven days from the date of completion of the assessment.

(2) Where suitable reciprocal arrangements apply, the Director General may recognize aid to navigation and vessel traffic service certificate granted by any member state of the International Organisation for Marine Aids to Navigation if such certificate has been issued in accordance with the recommendations of the International Organisation for Marine Aids to Navigation.

7. Issue of vessel traffic service log book. –(1) The Director General shall issue a log book to each vessel traffic service personnel through the accredited training organisation for maintaining a record of trainings and work experience of such personnel.

(2) The procedure for the issue of log book shall be as specified by the Director General from time to time.

(3) The entries in the log book pertaining to work experience of the vessel traffic service personnel shall be made by the vessel traffic service provider and such entry shall be made available to the Director General in such form and manner as specified by the Director General from time to time.

8. Aid to navigation and vessel traffic service personnel database. – (1) Every local authority and vessel traffic service provider shall make available the details of the personnel deployed by them and status of their training to the Director General.

(2) Every accredited training organization shall provide the details of the training carried out at its institute to the Director General in such form and manner as specified by the Director General from time to time.

(3) The Director General shall maintain a database of the aids to navigation personnel and vessel traffic service personnel and status of their training, based on the inputs received under sub-rules (1) and (2).

[F. No. LH- 11012/5/2021-SL]

MUKESH MANGAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.19 15:44:31 +05'30'